

(ii) **मध्य स्तरीय समितियाँ** (Middle level Committees)—प्रिसिक्ट समितियों के ऊपर तथा राष्ट्रीय समिति के बीच में मध्य स्तरीय समितियाँ होती हैं। नगरों में वार्ड समितियाँ होती हैं। वार्ड समितियाँ नगरपालिकाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने का कार्य करती हैं और नगर पार्षदों के चुनावों में दल के लिए कार्य करती हैं। प्रिसिक्ट समितियों व वार्ड समितियों के ऊपर नगर समितियाँ होती हैं जो निचली दोनों समितियों के कार्यों की देखभाल करती हैं तथा उनमें तालमेल पैदा करती हैं। ग्रामों में स्थानीय समितियों के ऊपर ग्राम समितियाँ तथा टाउनशिप समितियाँ होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को संगठित करने के लिए काउंटी समितियाँ होती हैं।

प्रत्येक राज्य की शीर्ष की समिति राज्य की केन्द्रीय समिति (State Central Committee) होती है। यह समिति राज्य के संपूर्ण दलीय संगठन की देखभाल करती है। राज्य समितियाँ सीनेट तथा राज्यों के विधानमंडल तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों का चयन करती हैं। चुनावों का संचालन करती हैं, धन एकत्रित करती हैं तथा दल का समर्थन करने वाले व्यक्तियों व हित समूहों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था करती हैं। राज्य की समिति का अध्यक्ष एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति होता है।

(iii) **राष्ट्रीय समिति** (National Committee)—सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से राष्ट्रीय समिति का गठन होता है। दल के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय समिति का निर्माण किया जाता है। कई राज्यों में राष्ट्रीय समिति के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव, राज्य सम्मेलनों में किया जाता है। और कुछ में राज्य समितियाँ भी चुनती हैं। दल का राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चुनाव करता है। यही प्रत्याशी दल का सर्वेसर्वा होता है तथा दलीय अध्यक्ष के नाम की सिफारिश करता है जिसे राष्ट्रीय समिति अनुमोदित कर देती है।

अमरीका तथा ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की तुलना

(Comparison between American and British Party System)

नीचे अमरीका तथा ब्रिटेन की दलीय व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है—

समानताएँ (Similarities)

अमरीका तथा इंग्लैंड की दलीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करने से हमें दोनों में मुख्यतः दो समानताएँ दिखाई देती हैं। **पहली समानता** यह है कि इन दोनों देशों में राजनीतिक दलों का विकास संविधान के बाहर हुआ है। अमरीका तथा ब्रिटेन दोनों के संविधानों में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि वर्तमान स्थिति यह है कि वहाँ की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन वहाँ की दलीय व्यवस्थाओं का अध्ययन किए बिना संभव नहीं है। यद्यपि इन देशों के राजनीतिक दलों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है फिर भी ये शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं।

दूसरी समानता यह है कि इन दोनों ही देशों में द्विदलीय पद्धति (Two Party System) का विकास हुआ है। यद्यपि यहाँ दलों के निर्माण की पूरी स्वतंत्रता है और इस कारण यहाँ अनेक दलों का अस्तित्व विद्यमान है किंतु एक समय में केवल दो ही मुख्य दल रहे हैं। एक दल सरकार बनाता है और दूसरा दल विरोधी दल की भूमिका निभाता है। शेष दलों का राजनीतिक व्यवस्था में विशेष महत्व नहीं रहता।

असमानताएँ (Dissimilarities)

इन दोनों देशों की दलीय व्यवस्था में समानताओं की अपेक्षा असमानताएँ निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी कारण **कॉवेल (Cowel)** ने कहा है कि 'संयुक्त राज्य अमरीका के राजनीतिक दल उद्देश्य व रूप की दृष्टि से इंग्लैंड तथा अन्य अधिकांश अन्य देशों से भिन्न हैं।' इन दोनों देशों की दल प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख अन्तर पाये जाते हैं—

(क) **विचारधारा के संबंध में** (In relation to ideologies)—वर्तमान समय में ब्रिटिश राजनीति में दो प्रमुख दल हैं— अनुदार दल और श्रमिक दल। इन दोनों राजनीतिक दलों में सिद्धांत और विचारधारा का स्पष्ट अंतर है। अनुदार दल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और विद्यमान स्थिति को कम से कम परिवर्तनों के साथ बनाये रखने के पक्ष में हैं, लेकिन श्रमिक दल का उद्देश्य है शांतिपूर्ण और सविधानिक पद्धति से लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना। दूसरी ओर अमरीकी राजनीति के दो प्रमुख दलों— रिपब्लिकन दल और डेमोक्रेटिक दल— में विचारधारा संबंधी भेद का सामान्यतः अभाव है। विदेश नीति, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आदर्शों के संबंध में इन दोनों राजनीतिक दलों का एक समान दृष्टिकोण है। फाइनर (Finer) के विचार में, ब्रिटेन के अनुदार तथा श्रमिक दलों की स्पष्ट भिन्नता के समान विभिन्न आदर्शों की समानता के आधार पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो दलों के बीच अंतर की कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। वास्तव में इन्हें एक ही दल के दो अंग कहना अधिक उचित होगा, जिनको रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दो विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। लॉर्ड ब्राडस ने अमरीकी राजनीति के दो दलों की तुलना दो ऐसी खाली बोतलों से की है, जिनमें अलग-अलग पेय के लेबिल लगे हुए हैं। एमरसन (Amerson) भी ब्रिटिश दलों से अमरीकी दलों के भेद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साधारणतया हमारे दल (अमरीकी दल) परिस्थितियों के दल हैं सिद्धांतों के नहीं।

(ख) **संगठन की दृष्टि से** (From the angle of Organisation)—संगठन की दृष्टि से ब्रिटिश राजनीतिक दल राष्ट्रीय होते हैं और उनमें सुदृढ़ संगठन देखा जा सकता है दूसरी ओर अमरीकी राजनीतिक दलों में स्थानीयता की प्रवृत्ति प्रबल है। अमरीकी राजनीतिक दल केवल राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही राष्ट्रीय रूप धारण करते हैं, अन्यथा वस्तुतः वे स्थानीय और राज्य संगठन ही होते हैं।

(ग) **अनुशासन की दृष्टि से** (From the angle of Discipline)—ब्रिटिश राजनीतिक दल अपने कठोर अनुशासन के लिए विख्यात हैं और वहाँ की राजनीति में सदस्यों द्वारा दलों अनुशासन की अवहेलना की घटनाएँ बहुत ही कम होती हैं। दूसरी ओर यह कठोर दलों अनुशासन अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई नहीं देता। अमरीकी कांग्रेस के सदस्य जन्तु बार अपने दलों के नेताओं के आदेशों-निर्देशों की अवहेलना करते हुए देखे जाते हैं।

(घ) **सक्रियता (Dynamism)**—ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का एक परिणाम यह है कि ब्रिटिश दल सदैव सक्रिय रहते हैं जबकि अमरीकी राजनीतिक दल राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ही सक्रिय रहते हैं। एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने के बाद तीन वर्ष से भी अधिक वह वे निष्क्रिय बने रहते हैं।

(ङ) **दबाव समूहों की भूमिका (Role of Pressure Groups)**—अमरीकी राजनीतिक दलों में दबाव समूह बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं जबकि ब्रिटेन में इनको सक्रिय रहने का अवसर नहीं मिलता।

III. बहुदलीय व्यवस्था

(Multi Party System)

वह देश जहाँ राजनीतिक दलों के निर्माण में संवैधानिक आपत्ति नहीं होती अथवा जहाँ अनेक दलों की उत्पत्ति के लिए योग्य वातावरण उपलब्ध हो, वहाँ बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ तथा राज्य को सफलता भी मिली। यहाँ इस प्रणाली के विभिन्न स्वरूपों को वर्णित करने का निम्नलिखित रूप से प्रयास किया गया है—

(1) **बहुदलीय लोकतंत्र** (Multi-party Democracy)—परंपरागत रूप में बहुदलीय प्रणाली से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें अनेक दलों की स्थिति बराबरी की होती है। इस प्रणाली में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। कई बार तो दो या तीन दल मिलकर भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते। अतः उनमें से कोई प्रमुख दल अन्य अनेक दलों को साथ मिलकर विधायिका में बहुमत स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोकतंत्रों में सामान्यतः मिली जुली सरकार बनती है।

उपरोक्त प्रकार की बहुदलीय प्रणाली का विकास उन देशों में होता है जहाँ समाज में अधिक विविधताएं विद्यमान होती हैं। मजहब, जाति, भाषा, तथा नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ तथा उनका अहम दलों के निर्माण में महत्वपूर्ण कारण होते हैं। 1958 से पूर्व फ्रांस इसका महत्वपूर्ण उदाहरण था। वर्तमान में भारत, इटली, जर्मनी, श्रीलंका आदि देशों में बहुदलीय शासन प्रणाली के स्वरूप देखने को मिलता है।

(2) **एक दल-प्रधान बहुदलीय प्रणाली** (One Party Dominant Multi Party System)—इस प्रणाली में भी बहुदलीय लोकतंत्र के समान दो से अधिक दल चुनावों के माध्यम से सत्ता के लिए संघर्षरत रहते हैं परंतु इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें एक दल अन्य दलों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है और उसे जन समर्थन अन्य दलों की तुलना में बहुत अधिक मिलता है परिणामस्वरूप उसे चुनावों में बहुमत प्राप्त हो जाता है। कई बार प्रधान दल को दो तिहाई मत तक प्राप्त हो जाता है जैसे भारत में, 1946 से 1977 तक, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, भारत की संघीय विधानपालिका में कांग्रेस दल को अत्यधिक बहुमत उपलब्ध हुआ। ऐसी बहुदलीय व्यवस्था में, एक प्रधान दल इतनी मात्रा में बहुमत प्राप्त कर लेता है कि बिना किसी अन्य दल के सहयोग के वह सरकार बनाने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है और कई बार तो वह इतना अत्यधिक बहुमत प्राप्त कर लेता है कि संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। परंतु अब, चुनाव से पूर्व छोटे मोटे दल सीटों का तालमेल करके प्रधानता के प्रयत्नशील दल को चुनाव में परास्त करने की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं और इस प्रकार जब दल संघीय चुनाव में विजयी हो जाते हैं तब वे बहुदलीय मिली-जुली सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण अब क्षेत्रीय दलों का अधिक महत्व बढ़ गया है। इस प्रकार अब एक दलीय प्रधानता व्यवस्था समाप्त हो गई है। वर्तमान समय में छोटे, स्थानीय व क्षेत्रीय दल अपनी महत्वकांक्षाओं को मनवा सकने की स्थिति में होते हैं और इस प्रकार समाज के हर वर्ग की इच्छा की पूर्ति की संभावना दिखने लगी है।

मौरिस ड्युवर्जर (Maurice Duverger) का कहना है कि यद्यपि मानव की प्रकृति द्वैधात्मक होती है और इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांशतः देशों में द्विदलीय प्रणालियां होनी चाहिए किंतु ड्युवर्जर कहते हैं कि ऐसा होता नहीं क्योंकि विभिन्न प्रश्नों पर अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। वे उदाहरण देते हैं कि धर्म के संबंध में 'क' तथा

‘ग’ पक्ष में हो सकते हैं तथा ‘ख’ विपक्ष में हो सकता है किंतु सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर ‘क’ पक्ष में तथा ‘ख’ व ‘ग’ विपक्ष में हो सकते हैं। ड्युवर्जर के अनुसार यद्यपि मानव प्रकृति द्वैधात्मक होते हुए भी विविध प्रश्नों पर पक्ष व विपक्ष के आधार पर जब वे समूह निर्माण कर लेते हैं तो द्वैधता नष्ट हो जाती है और उसका स्थान बहुलता ले लेती है। जिन देशों में राजनीतिक सहिष्णुता (Political tolerance) अधिक होती है वहां विविध पक्षों के समर्थक एक ही दल में अपने मतों की विविधता में तालमेल बिठा लेते हैं पर सहिष्णुता के अभाव में वे अलग दल बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए **मौरिस ड्युवर्जर** (Maurice Duverger) का कहना है कि बहुदलीय प्रणाली के विकास का एक कारण राजनीतिक सहिष्णुता (Political tolerance) का अभाव होता है (Maurice Duverger, 'Public Opinion and Political Parties in France,' American Political Science Review 46(1952). See also his book 'Political Parties', (London, 1954, pp. 216-228)।

आज एक दलीय व्यवस्था को लगभग सभी देशों ने त्याग दिया है। तनज़ानिया, जो एक दलीय राज्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है, उसने अपनी स्थिति को बदल डाला है। लेटिन अमरीका तथा अफ्रीका में, पिछले दो दशकों में, अनेक परिवर्तन हुए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक दलीय राज्य से बहुदलीय राज्य में परिवर्तित होना रहा है। अधिकतम परिवर्तन लेटिन के महाद्वीप में हुए है। अब यह लोकतंत्रीय महाद्वीप बन गया है। अफ्रीका में, पिछले दो दशकों में, तीस देशों ने सामान्य निर्वाचन का सामना किया है। यद्यपि अफ्रीका महाद्वीप गृह युद्धों के लिए सर्वमान्य है, फिर भी यदि हम अफ्रीका की स्थिति का विवेचन करें तो प्रतीत होता है कि पिछले दस वर्षों में वहां का रूझान पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। तानाशाही शक्तियां कमजोर होती जा रही हैं। लगभग सभी देश बहुदलीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र बनने के इच्छुक हैं। तनज़ानिया में हुए 1995 के चुनाव में छः राजनीतिक दलों ने भाग लिया था।

इस बात में कुछ सत्य है कि बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के पश्चात् देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। भूखमरी, निरक्षता, बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट आदि समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यद्यपि यह सत्य है कि थोपा गया लोकतंत्र उपरोक्त समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। परंतु यह समस्याएं प्राकृतिक रूप से आर्थिक होने के कारण, इस संकट को टालने के लिए एक स्वस्थ आर्थिक नीति व योजना की मांग करती है।

महत्वपूर्ण प्रश्न (Important Questions)

1. दलीय व्यवस्था की प्रकृति का विवेचन कीजिए।
Nature of Party System.